शुल्क के भुगतान में होने वाले विलम्ब के मामलों को कम किया जा सके। शुल्क भुगतान की भांति ही ब्याज की भी वसूली की जाती है। निर्धारित उत्पाद शुल्क अदा न कर पाने की स्थिति में, सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11 के तहत शुल्क्य माल का कुर्की और बिक्री करके और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 230 के अंतर्गत माल, संयंत्र और मशीनरी को निरूद्ध करके कार्रवाई करती है। सीमा शुल्क की चूक की स्थिति में, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 142 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में चूककर्त्ता की चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की एवं बिक्री करने की व्यवस्था है।

सरकार की ओर से निर्धारितियों और आयातकों से अपनी बकाया राशियों की वसूली करने में जान-बूझकर विलम्ब नहीं किया जाता है।

Maintenance/repair of aircrafts of Air India

*100. SHRI GYAN RANJAN: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Air India has sent its aircrafts abroad for maintenance/repair during the last three years;

(b) if so, the details thereof;

(c) the total foreign exchange spent in this regard during the above period, aircraft-wise;

(d) whether executives and other employees have also gone abroad in this connection;

(e) if so, the details alongwith the facilities provided to them; and

(f) the amount of foreign exchange incurred thereon?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Details are as under:

Year	Type of Aircraft	No. of Aircraft sent abroad for maintenance repair	Amount Spent in US Dollors
1994-95	B747-200	2	7087698.98
	A300-B4	1	1085858.48
1995-96	B747-300	2	5956515.65
	B747-200	2	4498854.19
	A300-B4	1	539633.18
1996-97	B747-200	4	4233180.75
	A310	2	1190081.47
	A300-B4	1	1912937.03

(d) Yes, Sir.

(e) 175 employees were sent abroad. They were provided hotel accomodation, transport etc by the concerned repair agencies as per the agreement between Air India and the concerned agencies.

(f) An approximate amount of US Dollars 3,09,055.86 was paid to the employees towards applicable daily allowance.

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Direct Air services among SAARC countries

621. SHRI SANJAY DALMIA:
SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY:
SHRI MOHAN BABU:
DR. D. VENKATESHWAR RAO:

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether a decision was taken to

start direct air services among the seven SAARC Countries;

(b) if so, the action taken/progress made since then in this regard; and

(c) the time by which these services are likely to be started?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) India is already connected with all the SAARC countries by air.

(b) and (c) Do not arise.

निजी-विमान कम्पनियों को सावधि ऋण

622. **श्री नागमणि:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या नागर **विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी विमान कंपनियों को निधि प्रदान करने के लिए सावधि ऋण में संशोधन करने संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय और एयर टैक्सी आपरेटरों से कोई परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिनांक 12 मार्च, 1997 को अंतर्देशीय सेक्टर में निजी विमान कंपनियों के प्रचालन हेतु उनकी दीर्घावधिक अपेक्षाओं के पूर्ति के लिए प्रबंध-व्यवस्था को सुकर बनाने की दृष्टि से वित्तपोषण नीति के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए बैंकिंग विभाग, प्रमुख वित्तीय संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों तथा अनुसूचित विमान कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई थी। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई प्रगति पर है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी बैठकों में, एयरलाइंस प्रचालक इस बात पर सहमत रहे हैं कि उनके मामले भी भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान मार्गदर्शी-सिद्धांतों के अंतर्गत ही आते हैं। इस मतैक्य के मद्देनजर, क्रेडिट प्रबंध संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी-सिद्धांतों की कोई समीक्षा इस अवस्था में अपेक्षित नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक एयरलाइंस उद्योग के वित्तपोषण के संबंध में स्थिति को मूल्यांकन तथा समीक्षा करने के लिए अविरल नियमित बैठकें करने के हक में है। इस बीच, विमानन सेक्टर के लिए अपेक्षित वित्तपोषण आधारभूत-संरचना को संबंधित विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करने की दृष्टि से, एक उच्चाधिकार-प्राप्त अंतर-सांस्थानिक दल (आई०आई०जी०) गठित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी तथा आईडीबीआई के प्रतिनिधि शामिल हैं।

Purchase of 50 seater turboprop aircraft

623. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether the proposal for purchase of a 50 seater turboprop aircraft for the Alliance Air has been inordinately delayed; and

(b) if so, the details of the proposal indicating the precise requirement of the airlines; the reasons for the delay; the steps so far taken for procurement thereof and the offers received from different aircraft manufacturers for such aircraft?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) and (b) No, Sir. Alliance Air has no such proposal. However, Indian Airlines is considering to acquire six 50 seater turboprop aircraft for operating in the priority sector of North-East and other important tourist and business destination. The companies alongwith the names of aircraft, which have been shortlisted, are given below:—

Name of the Company	Aircraft
(i) M/s Aero Intenationale	ATR 42-500
(ii) M/s Bombardier Regional Aircraft, Canada	Dash 8-300
(iii) M/s. Saab Aircraft International, Sweden	Saab 2000